उ० प्र० भारत स्काउट और गाइड

डा० प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रॉंक : C9-105A/2218 / 2018-19
दिनॉंक : 28 / 02 / 2019

सेवा में,

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उ0प्र0 ।

विषयः— उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप को अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा—भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हे उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है।

2— लार्ड वेडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर/रेंजर की संज्ञा देते हुए उनकी आयु 15 से 25 वर्ष निश्चित की और 24 युवकों के दल को रोवर क्रयू और 24 युवतियों के दल को रेंजर टीम का नाम दिया। रोवर लीडर/रेंजर लीडर की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्रयू/टीम लीडर बनने से पूर्व इनके लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। रोवर/रेंजर दलों के माध्यम से जहॉं एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं उनके द्वारा तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समुचित वातावरण बनाये जाने में सहायता मिल सकती है, जैसे — दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओं—बेटी पढ़ाओं, मतदाता जागरूकता अभियान आदि। इसके अतिरिक्त शासन की विकास योजनाओं के प्रचार व प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में रोवर/रेंजर की टीमों को लगाया जा सकता है।

3— रोवर क्रयू /रेंजर टीम के माध्यम से जहॉं एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व

.........2

के कार्यों में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही अपेक्षित है।

4– (1) संयुक्त सचिव शिक्षा उ0प्र0 शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1059/15.11.88–3(14)88, उ0प्र0 शासन, शिक्षा (11) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 1988 द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क से प्राप्त धनराशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग स्काउट/गाइड कार्यक्रम एवं रोवर/रेंजर दलों में व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है।

(2) रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2130/सत्तर–2–2003 –16 (106)/03 उच्च शिक्षा अनुभग–2, लखनऊ दिनांक 27 जून, 2003 द्वारा बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिमान्य अंक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम तथा इसके शिविरों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इससे छात्र-छात्राएं जहॉ सर्वागिण व्यक्तित्व विकास में इसकी उपयोगिता को अनुभव करेंगे वहीं बी0एड0 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होंगें।

5– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में शासन के निर्देशों के अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

(1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयो में (जहॉ अभी तक रोवर क्र्यू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्र्यू /रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय। सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छायाप्रति संलग्न है जिसकी आवश्यकतानुसार छायाप्रतियॉ भी करायी जा सकती हैं। साथ साथ जहॉ ये दल पूर्व से गठित हैं वहॉ उनकी सँख्या में वृद्धि की जाय।

.......3

(2) प्रत्येक रोवर क्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एवं रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एवं रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करनें और अधिकाधिक दलो की स्थापना करानें की व्यवस्था करनें की कृपा करें। इस हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी वह सुलभ होता रहेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।
4– प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार कुलपति से सम्पर्क कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित कर उनके पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में चलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्य को अन्तिम रूप प्रदान करें।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

संयोजक, रोवर्स रेंजर्स
आ० क्षा० हेतु

13/3/19

15.3.19

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

कब/बुलबुल (पैक/फ्लाक), स्काउट/गाइड (दल/कम्पनी), रोवर/रेंजर (क्रयू/टीम) के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
पंजीकृत संख्या ....
यूनिट/ग्रुप का नाम
....
तिथि ....

जिला .... मण्डल..............................

तिथि जब दल पहली बार प्रारम्भ किया गया ....

यूनिट/ग्रुप का पूरा नाम ....

यूनिट/ग्रुप का पता ....

यूनिट/ग्रुप स्वतंत्र है अथवा किसी स्कूल या संस्था से नियंत्रित है ....

यूनिट/ ग्रुप के संचालक का नाम ....योग्यता ....मो0..............................

संख्या

कब		स्काउट		रोवर		स्काउटर	
बुलबुल		गाइड		रेन्जर		गाइडर	

योग		

ह0 संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या अथवा ग्रुप कमेटी के प्रधान

ह0 यूनिट/ग्रुप का अधिकारी

हस्ताक्षर
जिला सचिव/जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), संबधित जनपद

चेक किया एवं सही पाया

सहा0 प्रा0 संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड)
सम्बंधित मण्डल

स्वीकार किया

प्रादे0 संग0 कमि0 (स्काउट/गाइड)

प्रादेशिक सचिव

निर्देश

1. यह आवेदन–पत्र दो प्रतियों में भरा जायेगा और जिला संस्था के संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के उपरान्त पंजीकरण हेतु प्रादेशिक मुख्यालय भेजना होगा।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को निम्नानुसार शुल्क जिला संस्था के पास जमा करना होगा–:

(दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी)

(1) क्रू/टीम पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार देय) - कुल रुपए 408.00 (रुपए 329/- प्रादेशिक अंश) (रुपए 79/- जिला संस्था अंश)

(2) क्रू/टीम नवीनीकरण शुल्क (पंजीकरण वर्ष के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय) - कुल रुपए 374.00 (रुपए 304/- प्रादेशिक अंश) (रुपए 70/- जिला संस्था अंश)

नोट : उपरोक्त शुल्क में एक यूनिट लीडर का वारंट शुल्क सम्मलित है। सहायक यूनिट लीडर हेतु पृथक से रुपए 100/- प्रति की दर से अधिकतम चार सहायक लीडर के वारंट एक क्रू/टीम के सापेक्ष निर्गत हो सकते हैं।

(दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी)

(1) क्रू/टीम पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार देय) - कुल रुपए 780.00 (रुपए 629/- प्रादेशिक अंश) (रुपए 151/- जिला संस्था अंश)

(2) क्रू/टीम नवीनीकरण शुल्क (पंजीकरण वर्ष के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय) - कुल रुपए 730.00 (रुपए 604/- प्रादेशिक अंश) (रुपए 126/- जिला संस्था अंश)

नोट : उपरोक्त शुल्क में एक यूनिट लीडर का वारंट शुल्क सम्मलित है। सहायक यूनिट लीडर हेतु पृथक से रुपए 100/- प्रति की दर से अधिकतम चार सहायक लीडर के वारंट एक क्रू/टीम के सापेक्ष निर्गत हो सकते हैं।